



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
 (A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009
 Web Site-www.ggu.ac.in, ph. No. 060021, Fax No. 07752-260148,154

क्रमांक 174 / अकाउ / 2015

बिलासपुर, दिनांक 31/3/15

प्रति,

विभागाध्यक्ष,
 शिक्षा विभाग,
 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
 बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्र0-03 में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महोदय,

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्र0-03 के अंतर्गत समिति ने विचारोपरांत निर्णय निम्नानुसार लिया है :-

“विभागीय संस्तुती एवं एन.सी.टी.ई. के विनियम 2014 के मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक सत्र 2015-16 से बी.एड एवं एम.एड. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष तथा प्रवेशित छात्रों की संख्या 100-100 के स्थान पर 50-50 निर्धारित की जाय ।”

कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अधिष्ठाता, अध्ययनशाला समाज विज्ञान की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6. विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. उप-कुलसचिव परीक्षा एवं सहा.कुलसचिव गोप./प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप-कुलसचिव (अका.)

CSIT/1292
01/4/15